राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1382/2014/जयपुर
अपील संख्या – 1383/2014/जयपुर

मैसर्स श्री ज्योति बैट्री इण्डस्ट्रीज,
परबतपुरा, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत्त–बी, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ओ. पी. माहेश्वरी
सी.ए., ...अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत्त–बी, अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 22/23/24 के तहत् कुल मांग राशि को यथावत् रखा गया है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		कुल मांग राशि
	क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1382/2014	28/13–14/VAT/अजमेर	16.04.2014	08.01.2013	2010–11	20,712
1383/2014	29/13–14/CST/अजमेर	16.04.2014	08.01.2013	2010–11	10,757

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी–व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त था जो अधिनियम लागू होने के बाद आस्थगन योजना में परिवर्तित कराया गया, परन्तु व्यवसायी द्वारा आस्थगन की राशि आउटपुट की राशि से गणना की गई है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आस्थगन की राशि नेट टैक्स पेयबल अनुसार इनपुट राशि घटाते हुए की गई है, जिसके संबंध में अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलों को अस्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

5. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर यह कथन किया कि चूंकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने भी ऐसे मामलें में नेट टैक्स पेयबल को ही लाभ योग्य माना है अतः वे इन अपीलों के बिन्दु पर कोई बल नहीं देना चाहते परन्तु कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जायें कि जितनी राशि का आस्थगन का लाभ उनके आदेशों में कम किया गया है वह राशि उनके आस्थगन के लाभ में बढ़ा दी जावे। हालाँकि कर निर्धारण अधिकारी को भी इस संबंध में संशोधन हेतु पत्र दिया जाना बताया।

6. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चूंकि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में आई.टी.सी. की राशि को कम करके जो नेट टैक्स पेयबल राशि का लाभ दिया गया है उसे स्वीकार कर लिया गया है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई गणना की भूल पाई जाती है, तो उसे नियमानुसार संशोधित करे। साथ ही अपीलार्थी–व्यवसायी के विरूद्ध विवरण पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत होने पर जो शास्ति आरोपित की गई है उसे अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचन के साथ कायम रखा है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. फलतः उक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य